

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - / 096 400ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
Tel: (+91 22)-28294728,
E-mail : dcseepz-mah@nic.in , Web-site : www.seepz.gov.org



फा.सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/जीआइ/588/2019-20/10209

दिनांक : 04.09.2020

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी,

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई-400096 के अधिकार क्षेत्र
के अंतर्गत आने वाले

विषय:- “घर से कार्य” करने के संबंध में दिशा-निर्देश ।


उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर लॉकडाउन के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप घर से कार्य करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं । सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 43 में इसके लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है । तदनुसार, विनिर्दिष्ट अधिकारियों ने नियम 50 तथा 51 के अनुसार इस प्रयोजन के लिए मालों की निकासी के लिए अनुमति दी है ।

यूनितधारकों तथा व्यापार निकायों से अपने प्रचालनों के बेहतर प्रबंधन के लिए “घर से कार्य” करने की अवधि की निश्चितता के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई महानगरीय क्षेत्र तथा पुणे में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विशेष एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता है, अतः महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में जारी अपने दिशा-निर्देशों में यथासंभव “घर से कार्य” करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने का सुझाव दिया है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 43 के अनुसार “घर से कार्य” करने की अनुमति दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाई जाए । इस मामले में उक्त अवधि के पश्चात आगे के निर्णय की समीक्षा की जाएगी ।

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अनुरोध दिया जाता है कि वे नियम 50 तथा 51 के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखें जिससे इस महामारी के दौर में ट्रेड को किसी प्रकार की परेशानी न हो ।

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - / 096 400ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
Tel: (+91 22)-28294728,
E-mail : dcseepz-mah@nic.in , Web-site : www.seepz.gov.org



F.NO. SEEPZ-SEZ/ADMN/GI/588/2019-20/10203

Dated: 04.09.2020

All Specified Officers,

Under Jurisdiction of Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ, Mumbai - 400096.


Subject: Guidelines for "Work From Home".

With reference to the above subject, this office has issued orders from time to time regarding "Work From Home" aligning the same with the Government of Maharashtra's Guidelines regarding the lockdown, as there is no time limit prescribed in Rule 43 of SEZ Rule 2006. Accordingly the Specified Offices have permitted the clearance of goods for this purpose in terms of Rules 50 & 51.

Various representations have been received from Unit holders as well as Trade Bodies representing them regarding the certainty of the period for "Work From Home" for better planning of their operations. Also the situation in Maharashtra regarding the Covid-19, especially in MMR & Pune, demands more precautionary measures for containment of Corona Virus and therefore Government of Maharashtra in their Guidelines issued in this behalf, have suggested to encourage "Work From Home" as far as possible.

In view of the above it is decided that the "Work From Home" permission in terms of Rule 43 of SEZ Rule 2006 is extended till 31.12.2020. A review of the same will be taken thereafter for further decision in the matter.

All Specified Officers are instructed to keep above directions in mind while exercising their rights in terms Rule 50 & 51, so that no hardship is caused to the Trade during this pandemic period.


04.09.20

(C.P.S. Chauhan)
Jt. Development Commissioner
SEEPZ SEZ